

22.11.83/157

क्र 41

सं० 1791/15431/1499104/01

जी.रेट.एम.ओ. डिप्टी,
उप. सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

क्र 3

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ/कुलाहाबाद।

विभागा 0131 अनुभाग :

लखनऊ, दिनांक, सितंबर 11, 1981

विषय:- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं० राओ-3/नियोजन/9685-87/17-1/96
दिनांक 26 मार्च, 1981 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि
राज्य शासन महोदय ने उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद की स्थापना के संबंध में, शिक्षण की तिथि से 20 फरवरी, 1982 तक के
विभिन्न निम्नलिखित अस्थाई पदों के सुकन की स्वीकृति प्रदान कर रहा है, यदि वे
इससे पूर्व ही बिना किसी सूचना के समाप्त नहीं कर दिये जाते :-

| सं० | पदनाम | रूप | वेतनक्रम | पदों की संख्या |
|-----|--------------------------|-----|---------------------------------------|----------------|
| 1- | निदेशक | | 2250-100-2750 | एक ✓ |
| 2- | विषय निदेशक महासंचालक | | 550-25-625-दोस्रो-25-750 | एक ✓ |
| 3- | आधुनिक | | 300-8-340-दोस्रो-10-440-दोस्रो-12-500 | एक ✓ |
| 4- | सहायक | | 175-3-205-दोस्रो-4-225-दोस्रो-5-250 | एक ✓ |
| 5- | सहायकी | | 165-2-185-दोस्रो-3-215 | एक ✓ |

2- उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर वीकृत
महंगाई, नगरीय प्रतिकर तथा अन्य भत्ते भी अनुगम्य होंगे।

3- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के गठन तथा अन्य
सम्बन्धी विषयक मामलों से संबंधित आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

(Handwritten signature)

राज्यपाल महोदय ने उक्त परिषद के लिये वित्तीय वर्ष 1981-82 में 3 स्वीकृत कार्याधीन वर्ग के धननाटि पर होने वाले व्यय के अतिरिक्त निम्नांकित व्यय को स्वीकृत किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है :-

| | | |
|----|---|----------|
| 1- | यात्रा भत्ता | ₹ 4,000 |
| 2- | कार्यालय व्यय | ₹ 5,000 |
| 3- | टेलीफोन पर व्यय | ₹ 20,000 |
| 4- | बैंकों पर व्यय | ₹ 5,000 |
| 5- | लक्ष्मण मशीन तथा राज-सूचना आदि पर व्यय अभाव | ₹ 50,000 |
| | | ₹ 84,000 |

उपरोक्त मदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 1981-82 के आय-व्यय में "277-शिक्षा-आयोजनागत-स-माध्यमिक शिक्षा-IV - शिक्षकों का प्रशिक्षण-113-राजकीय प्रशिक्षण संस्थान-131-राज्य तैलिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना" के अंतर्गत किया जायेगा।
 इस संबंध में मुझे यह भी कही जा चुका है कि उपरोक्त व्यय के लिए पर्याप्त स्टाफ कार की स्वीकृति के पश्चात् ही की जायेगी।
 यह आदेश विस्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं जो आदेश क्र. सं० ई-11-220/81 दिनांक, 11 दिसम्बर, 1981 के द्वारा प्राप्त

भारतीय,

सचिव, उप-सचिव।

सं० 179181/15138/1492

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

- 1- महासचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- सचिव, सं० 81 तथा 83 अनुभाग।
- 3- सचिव, सं० 84 अनुभाग।
- 4- सचिव, सं० 85 अनुभाग।

सचिव,

सचिव, उप-सचिव।